भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5546

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत और रिक्त पद

5546. श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके :

श्री ससिकांत सेंथिल :

श्री ज्ञानेश्वर पाटील :

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे :

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे :

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में उच्चतम न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में स्वीकृत संख्या की तुलना में वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) लंबित मामलों पर इन रिक्तियों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है:

(घ) उच्च न्यायालयों के समन्वय से इन रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) रिक्तियों को भरने के लिए 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' के गठन की स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन तथा तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) और तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकार राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार की गई प्रक्रिया

ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियों से संबंधित जानकारी **उपाबंध** में दी गई है ।

उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है, जो उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम कनिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ऐसा करते हैं। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना आवश्यक है । तथापि, इस समय सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाते हैं । सिफारिशों पर ऐसी अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी विचार किया जाना होता है जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध हो सकती हैं । उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को भेजा जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है । तारीख 23 मार्च, 2026 तक न्यायाधीशों की 1122 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों में 803 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 319 पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 130 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं ।

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस निरंतर, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में 157 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई ।

इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम तैयार करती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मज़हर सुल्तान वाले मामले में जनवरी 2007 में पारित आदेश के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका पालन

राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए किया जाना है।

न्यायालयों में मामलों की लंबितता कई कारकों के कारण उत्पन्न होती है, जिनमें न्यायाधीशों की कमी के अलावा अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे कि न्यायालय, अन्वेषण अधिकरणों, साक्ष्य और वादकारियों का सहयोग, भौतिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारी आदि सम्मिलित हैं । मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन है ।

संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का उपबंध करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का कोई भी पद सम्मिलित नहीं होगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । इस प्रस्ताव को अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक कार्यसूची मद के रूप में सम्मिलित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श तथा विचार करने की आवश्यकता है । प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए थे। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच राय में भिन्नता थी ।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती में सहायता के लिए एक न्यायिक सेवा आयोग के गठन और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा से संबंधित मामले को भी मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल किया गया था, जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था । इसमें यह संकल्प लिया गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को शीघ्रता से भरने हेतु मौजूदा प्रणाली के भीतर उपयुक्त तरीके विकसित करने का कार्य संबंधित उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया जाए । उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों के साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रस्ताव तारीख 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था। तथापि, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर पात्रता, आयु, चयन मानदंड, योग्यता, आरक्षण आदि के बिंदुओं पर तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में तारीख 16 जनवरी 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा सालिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में एक बैठक में पुनः चर्चा की गई थी । मार्च, 2017 में संसदीय परामर्शदात्री समिति और तारीख 22 फरवरी, 2021 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक में भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर विचार-विमर्श किया गया था ।

30 तारीख अप्रैल, 2022 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था। हालाँकि, इसे सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका। प्रमुख हितधारकों के बीच मौजूदा वैचारिक मतभेद को देखते हुए, वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई सर्वसम्मति नहीं है ।

<u>उपाबंध</u>

तारीख 20.03.2026 तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्ति ।

		स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां
क.	**उच्चतम न्यायालय**	34	33	1
ख.	**उच्च न्यायालय**			
1	इलाहाबाद	160	109	51
2	आंध्र प्रदेश	37	34	3
3	बंबई	94	79	15
4	कलकत्ता	72	42	30
5	छत्तीसगढ	22	15	7
6	दिल्ली	60	44	16
7	गुवाहाटी	30	24	6
8	गुजरात	52	35	17
9	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	25	14	11
11	झारखंड	25	13	12
12	कर्नाटक	62	45	17
13	केरल	47	39	8
14	मध्य प्रदेश	53	41	12
15	मद्रास	75	52	23
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	19	14
19	पटना	53	37	16
20	पंजाब और हरियाणा	85	58	27
21	राजस्थान	50	39	11
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	28	14
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	10	1
	कुल	**1122**	**803**	**319**
